

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5686
दिनांक 27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नीट-पीजी 2025 में प्रवेश

†5686. श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने हाल ही में आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए अर्हक पर्सेंटाइल (क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल) को घटाकर शून्य कर दिया है, जिससे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर)/नीट-पीजी 2025 में 800 में से -40 जितने कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश के लिए चल रही काउंसिलिंग प्रक्रिया के तीसरे दौर में भाग लेने के पात्र हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को चिकित्सा जगत के विभिन्न वर्गों से कोई विरोध या शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि यह चिकित्सा शिक्षा में शैक्षणिक मानकों में चिंताजनक गिरावट को दर्शाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार देश भर में नीट-पीजी 2025 में 800 में से -40 जितने कम अंक प्राप्त करने वाले ऐसे आरक्षित श्रेणियों के छात्रों की कुल संख्या कितनी है, जिन्होंने प्रवेश प्राप्त किया है और इसका कॉलेज-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय (डीजीएचएस) की चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श आयोजित करती है। एमसीसी द्वारा आयोजित नीट-पीजी काउंसिलिंग में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) की 50% सीटें और देश भर के केंद्रीय/मानद विश्वविद्यालयों की 100% सीटें शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य कोटा की स्नातकोत्तर सीटों और निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए परामर्श संबंधित राज्य परामर्श प्राधिकरणों द्वारा आयोजित किया जाता है।

चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) द्वारा दूसरे दौर की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद अर्हक पर्सेंटाइल में संशोधन का निर्णय लिया गया। इस काउंसिलिंग में यह पाया गया कि एमसीसी द्वारा काउंसिलिंग के लिए प्रस्तावित 29,476 सीटों में से 9,621 सीटें रिक्त रह गईं। इसके अलावा, चूंकि 50% सीटों के लिए काउंसिलिंग

संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती है, इसलिए यह आकलन किया गया कि दो दौर के बाद लगभग 20,000 सीटें (डीएनबी सीटों सहित) रिक्त रह गईं। अतः, पिछले शैक्षणिक वर्षों की भांति, जिन्होंने अधिकतम सीटों का उपयोग सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की थी, सरकार ने पीजी काउंसलिंग 2025 के लिए पात्रता प्रतिशत को कम कर दिया ताकि मूल्यवान पीजी मेडिकल सीटें रिक्त न रहें। नीट पीजी 2025 के लिए संशोधित पात्रता प्रतिशत इस प्रकार हैं:

वर्ग	संशोधित न्यूनतम पात्रता मानदंड
यूआर/ईडब्ल्यूएस	7वां पर्सेंटाइल
यूआर-पीडब्ल्यूडी	5वां पर्सेंटाइल
एससी/एसटी/ओबीसी	0वां पर्सेंटाइल

नीट-पीजी 2025 के लिए कट-ऑफ पर्सेंटाइल में कमी के विरोध में कुछ हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सीटों को देखते हुए कट-ऑफ पर्सेंटाइल में और कमी करने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एमसीसी ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय कोटा के तहत किसी भी श्रेणी में -40 अंक प्राप्त करने वाले किसी भी अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं की गई है।
